

न्यायालय : प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश
समक्ष गोपेश गर्ग

प्रकरण क्रमांक : 196ए/14

संस्थापन दिनांक 17.10.2014

- 1 श्रीमती उमादेवी उम्र 47 साल पुत्री भोगीराम पत्नी उमाशंकर दुबे जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम नावली परगना गोहद हाल सिंहपुर रोड मुरार ग्वालियर म0प्र0

– वादी

बनाम

- 1 शिवनारायण आयु 58 साल
- 2 श्रीनारायण आयु 50 साल पुत्रगण भोगीराम
- 3 संतोष आयु 45 साल
- 4 शिवकुमार आयु 40 साल
- 5 विनोद आयु 36 साल पुत्रगण स्व0 लक्ष्मीनारायण
- 6 सुनीता आयु 46 साल पत्नी स्व0 कैलाशनारायण
- 7 गोविन्द आयु 20 साल पुत्र श्रीनारायण समस्त जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम नावली तहसील गोहद
- 8 श्रीमती ग्यादेवी आयु 60 साल पुत्री भोगीराम पत्नी स्व0 रामनिवास खुरासिया निवासी खुरासिया का बाड़ा गोहद जिला भिण्ड
- 9 म0प्र0शासन जर्गे कलेक्टर जिला भिण्ड म.प्र.

– प्रतिवादीगण

निर्णय

(आज दिनांक..... को घोषित)

1. यह वाद भूमि खसरा क्रमांक 2 रकवा 0.24, 23 रकवा 0.05, 26/1 रकवा 0.51, 111/3 रकवा 0.53, 170 रकवा 0.37, 172/4 रकवा 0.03, 177/4 रकवा 0.03, 178 रकवा 0.38, 221 रकवा 0.82, 222 रकवा 0.08, 225 रकवा 0.04, 228 रकवा 0.03, 229 रकवा 0.46, 231 रकवा 0.06, 261/2 रकवा 0.36, 289 रकवा 0.26 है0, 299 रकवा 0.25 है0, 427 रकवा 0.42 है0, 471/1 रकवा 0.26 है0, 473/3 रकवा 0.09 है0, 23/2 रकवा 0.05 है0, 26/2 रकवा 0.30 है0, 111/2 रकवा 0.83 है0, 120/2 रकवा 0.27 है0, 127 रकवा 0.39 है0, 233 रकवा

0.78 है0, 234/1 रकवा 0.15 है0, 469/3 रकवा 0.28 है0, 473/2 रकवा 0.09 है0, 23/1 रकवा 0.05 है0, 32/2 रकवा 0.51 है0, 87 रकवा 0.10 है0, 111/1 रकवा 0.49 है0, 231/1 रकवा 0.35 है0, 476/1 रकवा 0.09 है0, 23/4 रकवा 0.05 है0, 111/4 रकवा 0.85 है0, 120/1 रकवा 0.28 है0, 230 रकवा 0.94 है0, 234/2 रकवा 0.16 है0, 255 रकवा 0.34 है0, 453 रकवा 0.17 है0, 471/2 रकवा 0.26 है0, 473/4 रकवा 0.09 है0, स्थित ग्राम नावली तहसील गोहद जिला भिण्ड और भूमि सर्वे क्रमांक 3495 रकवा 0.14 है0, 3496 रकवा 0.15 है0, 3497 रकवा 0.25 है0, 3498 रकवा 0.17 है0, 3499 रकवा 0.10 है0, 3508 रकवा 0.10 है0, 3511 रकवा 0.31 है0, 3536 रकवा 0.22 है0, 3537 रकवा 0.12 है0, 3539 रकवा 0.09 है0, 3540 रकवा 0.52 है0, 3541 रकवा 0.15 है0 स्थित ग्राम खनेता तहसील गोहद जिला भिण्ड (जिसे आगे के पदों में वादग्रस्त भूमि के रूप में संबोधित किया जावेगा) और भवन स्थित ग्राम नावली जिसके पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में शासकीय स्कूल, उत्तर में खेत, दक्षिण में शासकीय निस्तार भूमि है और जिसका मानचित्र वादपत्र के साथ संलग्न है (जिसे आगे के पदों में वादग्रस्त भवन के रूप में संबोधित किया जावेगा) के 1/6 भाग पर वादिया का स्वत्व व अधिपत्य है यह घोषित किए जाने प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 7 के विरुद्ध विवादित भवन व भूमि में हस्तक्षेप न करने की स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. वादपत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि व मकान वादिया एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 एवं 8 के पिता तथा प्रतिवादी क्रमांक 3 लगायत 5 एवं 7 के बाबा (दादा) एवं प्रतिवादी क्रमांक 6 के ससुर मृतक भोगीराम को अपने पूर्वजों से प्राप्त भूमि है तथा कुछ भूमि मृतक भोगीराम ने अपने पूर्वजों से प्राप्त पैतृक संपत्ति की आय से क्रय की हुई है। इस प्रकार विवादित भूमि एवं मकान संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित पैतृक संपत्ति है। वादिया मृतक भोगीराम की सगी पुत्री होकर उनकी वैध वारिस है। वादिया कम पढ़ीलिखी ग्रामीण महिला है। इसलिए वह अपने भाइयों पर अधिक विश्वास रखती थी और भाई शिवनारायण व श्रीनारायण प्र.सा.1 ने वादिया को भरोसा दिया था कि उसके नाम का नामांतरण 1/6 के भाग पर हो चुका है। इस कारण वादिया ने मौजा पटवारी से कोई जानकारी नहीं ली। वादिया अपने पिता के फौत हो जाने के पश्चात उक्त विवादित भूमि के हिस्सा 1/6 पर निरंतर व निर्विघ्न रूप से खेती करती चली आ रही है। वादिया अपने हिस्से की भूमि पर दिनांक 28.09.14 को बोनी करा रही थी उसी समय प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 आ गये और उन्होंने कहा कि अब इस भूमि पर उसकी खेती नहीं होगी। यह भूमि उनकी है और उन्होंने बंटवारा करा लिया है। इस प्रकार प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने वादिया को उक्त भूमि पर बोनी नहीं करने दी तथा झगड़ा करने पर आमादा हुये। तब वादिया ने मौजा पटवारी से दिनांक 30.09.14 को संपर्क किया तब वादिया को प्रतिवादीगण के नाम के अनुचित इन्द्राज की जानकारी दी। विवादित भूमि कृषि भूमि है जिसका राजस्व लगान 117.25 रुपये है। जिसका 20गुना धन 234.50 रुपया है जो मालियत कायम की जाती है। विवादित मकान की बाजारू कीमत करीब 1,20,000/-रुपये है जो मालियत कायम की जाती है। अतः प्रतिवादीगण के विरुद्ध निम्न आशय का निर्णय व जयपत्र जारी करने का निवेदन किया है कि विवादित भूमि एवं विवादित मकान पैतृक संपत्ति है जिसमें हिस्सा 1/6 की वादिया स्वामिनी होकर आधिपत्यधारिणी है यह घोषणा की जावे तथा इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी के विरुद्ध जारी की जावे कि विवादित भूमि व मकान के हिस्सा 1/6 के कब्जा बर्ताव में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का हस्तक्षेप स्वयं न करें और न ही अन्य से करावें और

वादिया को सुविधापूर्वक खेती काश्त करने दें तथा विवादित मकान में निवास करने दें।

3. प्रतिवादी क्रमांक 1,2, व 6 लगायत 8 ने वादपत्र के अभिवचनों को अस्वीकार कर व्यक्त किया है कि भूमि में वादी का हिस्सा 1/6 नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक 1,2,6,7 व 8 के भूमि स्वामी स्वत्व व आधिपत्य की है। मकान से वादी का कोई स्वत्व, संबंध कब्जा बर्ताव नहीं है वादिया अपनी ससुराल में पति के साथ में सिंहपुर रोड मुरार में निवास कर रही है इस मकान में उसका कोई कब्जा बर्ताव नहीं है। जबकि प्रतिवादी क्रमांक 1,2,6,7,8 निवास करते आ रहे हैं। सजरा में प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 की मां श्रीमती कैलाशीबाई का नाम का उल्लेख नहीं है। पिता की मृत्यु के बाद विधिवत नामांतरण की कार्यवाही की जिसमें इश्तहार जारी किये और वादी को इस तथ्य की हमेशा से जानकारी थी लेकिन कोई आपत्ति नहीं की है। प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के पिता को मरे हुए लगभग 15 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और आज तक जो राजस्व अभिलेख में नामांतरण हुआ है उसको भी चुनौती नहीं दी है। प्रतिवादी क्रमांक 8 का इस विवादित भूमि में हिस्सा 1/6 नहीं है। विवादित भूमि पर वादिया का कब्जा नहीं है तथा दावा में कब्जे की भी सहायता नहीं चाही गयी है तथा विवादित संपत्ति का बाजार मूल्य दस लाख रुपये है इसलिए वाद मूल्य कम कायम कर न्यायशुल्क कम अदा किया गया है। इसलिए धारा 34 आसुतोगा अधिनियम एवं वाद मूल्य व कम न्यायशुल्क अदा करने से वाद निरस्ती योग्य है। अतः निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।
4. प्रकरण में शेष प्रतिवादीगण द्वारा अभिलेख पर वादोत्तर पेश नहीं किया गया है।
5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न वाद प्रश्न विरचित किए गए हैं जिन पर प्राप्त विनिश्चय प्रत्येक के समक्ष अंकित किया जायेगा।

वाद प्रश्न

विनिश्चय

1. क्या भूमि सर्वे क्रमांक 2 रकवा 0.24, 23 रकवा 0.05, 26/1 रकवा 0.51, 111/3 रकवा 0.53, 170 रकवा 0.37, 172/4 रकवा 0.03, 177/4 रकवा 0.03, 178 रकवा 0.38, 221 रकवा 0.82, 222 रकवा 0.08, 225 रकवा 0.04, 228 रकवा 0.03, 229 रकवा 0.46, 231 रकवा 0.06, 261/2 रकवा 0.36, 289 रकवा 0.26 है0, 299 रकवा 0.25 है0, 427 रकवा 0.42 है0, 471/1 रकवा 0.26 है0, 473/3 रकवा 0.09 है0, 23/2 रकवा 0.05 है0, 26/2 रकवा 0.30 है0, 111/2 रकवा 0.83 है0, 120/2 रकवा 0.27 है0, 127 रकवा 0.39 है0, 233 रकवा 0.78 है0, 234/1 रकवा 0.15 है0, 469/3 रकवा 0.28 है0, 473/2 रकवा 0.09 है0, 23/1 रकवा 0.05 है0, 32/2 रकवा 0.51 है0, 87 रकवा 0.10 है0, 111/1 रकवा 0.49 है0, 231/1 रकवा 0.35 है0, 476/1 रकवा 0.09 है0, 23/4 रकवा 0.05 है0, 111/4 रकवा 0.85 है0, 120/1 रकवा 0.28 है0, 230 रकवा 0.94 है0, 234/2 रकवा 0.16

है0, 255 रकवा 0.34 है0, 453 रकवा 0.17 है0, 471/2 रकवा 0.26 है0, 473/4 रकवा 0.09 है0, जो ग्राम नावली तहसील गोहद में स्थित तथा भूमि सर्वे क्रमांक 3495 रकवा 0.14 है0, 3496 रकवा 0.15 है0, 3497 रकवा 0.25 है0, 3498 रकवा 0.17 है0, 3499 रकवा 0.10 है0, 3508 रकवा 0.10 है0, 3511 रकवा 0.31 है0, 3536 रकवा 0.22 है0, 3537 रकवा 0.12 है0, 3539 रकवा 0.09 है0, 3540 रकवा 0.52 है0, 3541 रकवा 0.15 है0 एवं भवन स्थित ग्राम नावली जिसके पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में शासकीय स्कूल, उत्तर में खेत, दक्षिण में शासकीय निस्तार भूमि है और जिसका मानचित्र वादपत्र के साथ संलग्न है के 1/6 भाग पर वादिया का स्वत्व है ?

2.क्या उक्त वादग्रस्त भूमि व भवन संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित पैतृक संपत्ति है ?

3.क्या उक्त वादग्रस्त संपत्ति के 1/6 भाग पर वादिया का आधिपत्य है ?

4.क्या उक्त वादग्रस्त संपत्ति के 1/6 भाग पर वादिया के आधिपत्य में प्रतिवादीगण द्वारा अवैध हस्तक्षेप का प्रयास किया जा रहा है ?

5.क्या वादी ने वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क संदाय किया है ?

6.सहायता व वाद व्यय ?

// वाद प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 का सकारण निष्कर्ष //

6. उमादेवी वा0सा01 ने कथन किया है कि भोगीराम के स्वत्व की विवादित कृषि भूमि स्थित है और ग्राम नावली में विवादित मकान भी स्थित है उक्त भूमि व मकान संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक संपत्ति है। विवादित भूमि प्रतिवादीगण की स्वअर्जित संपत्ति नहीं है। भोगीराम की मृत्यु वर्ष 1999 में हो चुकी है। विवादित भूमि भोगीराम को पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुई थी और कुछ भूमि पैतृक संपत्ति की आय से भोगीराम द्वारा खरीदी गयी है। वह भोगीराम की पुत्री है। इसलिए विवादित भूमि और मकान में सहदायिक संपत्ति होने से उसका 1/6 भाग पर स्वत्व व अधिपत्य है।
7. ओमप्रकाश व.सा.2 ने भी उमादेवी वा0सा01 के कथन का समर्थन किया है कि उमादेवी वा0सा01 के पिता भोगीराम की 15 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है उसका भोगीराम के यहां आना-जाना था और भोगीराम की मृत्यु के बाद उसकी जमीन पर उमादेवी वा0सा01 का 1/6 भाग का हिस्सा है। मुरारीलाल वा0सा03 ने भी उमादेवी वा0सा01 के कथन का समर्थन किया है कि उमादेवी वा0सा01 भोगीराम की सगी पुत्री है और वैध वारिस है।

8. श्रीनारायण प्र0सा01 ने कथन किया है कि विवादित भूमि में वादिया का 1/6 भाग पर हिस्सा नहीं है और राजस्व विलेख में भी वादिया का नाम किसी भी हैसियत से दर्ज नहीं है। प्रतिवादीगण ने सामाजिक रीति के अनुसार वादिया के पुत्र और पुत्रियों के समय पक्ष दिया है। वादिया के पुत्री के दो पुत्रों के विवाह हो चुके हैं प्रत्येक भात में 60 से 70 हजार रुपये दिया है इसलिए वादिया का इस जमीन में कोई भाग नहीं है। अजय कुमार प्र.सा.2 ने कथन किया है कि वादिया उसकी मौसी है। अजय कुमार प्र.सा.2 एवं शिवदयाल प्र.सा.3 ने भी कथन किया है कि भोगीराम की मृत्यु के बाद नामांतरण की बातचीत हुई थी तब वादिया ने और अजय कुमार प्र.सा.2 की मां ने जमीन में कोई हक नहीं लिया था और कहा था कि उन्हें भात पक्ष चाहिए। विवादित भूमि में वादी का कोई हक नहीं है। अजय कुमार प्र.सा.2 ने और शिवदयाल प्र.सा.3 ने भी कथन किया है कि भोगीराम की मृत्यु के बाद नामांतरण कार्यवाही की बातचीत हुई थी तब वादिया ने कोई हक नहीं लिया था।
9. उमादेवी वा0सा01 ने कथन किया है कि उसके भाई और भतीजों ने उसे गुमराह कर विवादित भूमि पर राजस्व कागजात में अपना इन्द्राज करा लिया है। वह अनपढ़ महिला है केवल हस्ताक्षर करना जानती है। वह अपने भाइयों पर विश्वास करती रही लेकिन भाइयों ने धोखा देकर उसके हिस्से की भूमि को अपने नाम गलत रूप से करा लिया। ओमप्रकाश व.सा.2 ने भी उमादेवी वा0सा01 के कथन का समर्थन किया है कि श्रीनारायण प्र0सा01 और शिवनारायण की नीयत में बेईमानी है इसलिए उसने उमादेवी वा0सा01 का नाम नामांतरण की कार्यवाही में छिपाया है। मुरारीलाल वा0सा03 ने भी उमादेवी वा0सा01 के कथन का समर्थन किया है कि प्रतिवादीगण ने उमादेवी वा0सा01 के बजाये अपना नामांतरण गुपचुप तरीके से करा लिया है।
10. उमादेवी वा0सा01 ने कथन किया है कि उसे कृषि करने से रोकने पर उसके द्वारा जानकारी ली गयी तब उसे मालूम पड़ा कि भोगीराम के स्थान पर उसका नाम छिपाते हुए शिवनारायण और श्रीनारायण प्र0सा01 ने अपना नाम गलत रूप से राजस्व कागजात में दर्ज करा लिया है और विवादित भूमि को प्रतिवादीगण ने बंदोवस्त में मिलजुलकर अपने नाम से बंटवारे में करा ली। मुरारीलाल वा0सा03 ने भी उमादेवी वा0सा01 के कथन का समर्थन किया है कि डेढ़ वर्ष पूर्व उमादेवी वा0सा01 को प्रतिवादीगण के गुपचुप नामांतरण की जानकारी हुई थी क्योंकि तब शिवनारायण आदि ने उमादेवी वा0सा01 को खेती करने से रोका था।
11. दस्तावेजी साक्ष्य में वादिया ने विवादित भूमि की सी-नंबरिंग सूची प्र0पी-4 प्रस्तुत की है। जिसमें विवादित भूमि के पुराने नंबर और वर्तमान सर्वे नंबर उल्लिखित है। वादी ने खसरा प्र0पी-6 संवत् 2031 लगायत 2034 प्रस्तुत किया है जिसमें सर्वे क्रमांक 6, 9, 16 रकवा 0.209, सर्वे क्रमांक 34, 34/431, 35, 54, 88, 117, 127, 179, 192, 193, 198, 199, 280, 370, 376, 419, 425/1, 426, 129/437, भोगीराम के स्वत्व में उल्लिखित है। सर्वे क्रमांक 57, 72, 73, 279 भोगीराम के पुत्रगण लक्ष्मीनारायण, शिवनारायण, श्रीनारायण प्र0सा01, कैलाशनारायण के स्वत्व में उल्लिखित है।
12. वादी ने खसरा संवत् 2056 लगायत 2060 प्र0पी-2 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसमें भूमि सर्वे क्रमांक 3491, 3492, 3493, 3494, शिवनारायण, सर्वे क्रमांक 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3508, 3591, सुनीताबाई वेवा कैलाशनारायण, सर्वे क्रमांक 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, श्रीनारायण प्र0सा01 के स्वत्व में उल्लिखित है।

13. वादीगण ने खसरा संवत् 2055 लगायत 2059 प्र०पी-3 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसमें सर्वे क्रमांक 2, 170, 178, 221, 229, 233, 289, 427, 469, 471, 473 श्रीनारायण प्र०सा०1 के स्वत्व में, सर्वे क्रमांक 23, 26, 27, 32, 87, 172 रकवा 0.09 है० में 1/4 भाग, 177, 222, 225, 228, 231 रकवा 0.06 है० भोगीराम और सर्वे क्रमांक 111, शिवनारायण, श्रीनारायण प्र०सा०1, सुनीता व उसके पुत्र सर्वे क्रमांक 120, 234, 261 लक्ष्मीनारायण, शिवनारायण, श्रीनारायण प्र०सा०1, कैलाशनारायण के व सर्वे क्रमांक 230, 255 गोविन्द दत्तक पुत्र सुनीता वेवा बच्चूलाल के स्वत्व में और सर्वे क्रमांक 127 शिवनारायण उल्लिखित है।
14. वादी ने नामांतरण पंजी प्र०पी-1 की प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की है। जिसके अनुसार खाता क्रमांक 94 जिसमें सर्वे क्रमांक 23, 26, 27, 32, 85, 86, 222, 225, 228, 231, 453 कुल किता 11 कुल रकवा 3.28 है० भोगीराम मृतक के स्वत्व में उल्लिखित कर उसके वारिसों में लक्ष्मीनारायण के पुत्रगण 1/4 भाग पर, शिवनारायण 1/4 भाग पर, श्रीनारायण प्र०सा०1 1/4 भाग पर और सुनीता वेवा कैलाशनारायण 1/4 भाग की वारिस उल्लिखित कर भोगीराम के स्थान पर प्रविष्टि प्रमाणित किए जाने का तथ्य उल्लिखित है। शेष खाता क्रमांक 151 व 152, 156, 159 भोगीराम भूस्वामी के रूप में उल्लिखित न होने से लक्ष्मीनारायण, शिवनारायण, श्रीनारायण प्र०सा०1, कैलाशनारायण, सुनीता वेवा बच्चूलाल उर्फ कैलाशनारायण और लक्ष्मीनारायण के पुत्रगण संतोष व शिवकुमार और विनोद के मध्य बंदोवस्त के खाते प्रथक किए जाने और आपसी विवाद तथा भाइयों के बंटवारे में कुछ भागीदारों को छोड़े जाने से संपूर्ण खाते एकत्रित कर घरू बंटवारे में आपसी सहमति से फर्द बंटवारा स्वीकृत किया जाना और सर्वे नंबर का प्रथक रकवा किया जाकर उसका बटांकन स्वीकृत किया जाना आदेश दिनांक 25.03.2000 के अनुसार उल्लिखित है। अतः नामांतरण पंजी प्र०पी-1 में मात्र 11 सर्वे जो खाता क्रमांक 95 के हैं का भूस्वामी भोगीराम उल्लिखित किया गया है।
15. उक्त कार्यवाही के उपरांत नामांतरण पंजी प्र०पी-1 के अनुसार प्रविष्टि अमल में लाये जाने के संबंध में वादी ने खसरा प्र०पी-5 संवत् 2060 लगायत 2064 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है। जिसके अनुसार उक्त नामांतरण कार्यवाही जो प्र०पी-1 के अनुसार की गयी है वह अमल में लायी गयी है। खसरा प्र०पी-5 के अनुसार भोगीराम के स्वत्व के सर्वे क्रमांक 23, 111 और 453 के चार बटांकन लक्ष्मीनारायण के पुत्रगण, शिवनारायण, श्रीनारायण प्र०सा०1 और कैलाशनारायण की वेवा सुनीता, 26 के दो बटांकन श्रीनारायण प्र०सा०1 और शिवनारायण, 27, 32, 87, लक्ष्मीनारायण के पुत्रगण, 222, 225, 228, 231, श्रीनारायण प्र०सा०1 के नाम से प्रविष्ट हैं और शेष सर्वे नंबर 87, 469/1, 473/1 संतोष, शिवकुमार, 120/1, 255, 253 230, 234/2 सुनीता, 120/2, 127, 233, 234/1, 469/2, 473/2, 473/4, शिवनारायण, 170 172/4, 177/4, 178, 221, 229, 261/2, 289, 299, 227, 473/3, श्रीनारायण प्र०सा०1 के स्वत्व में उल्लिखित है और सर्वे क्रमांक 85 का खसरा वादी ने पेश नहीं किया है।
16. प्रतिवादीगण ने लिखतम वसीयतनामा प्र०डी-1 प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार भोगीराम ने शिवनारायण और श्रीनारायण प्र०सा०1 को बंधा रोड कस्बा गोहद स्थित 30770 वर्गफीट में अपने 1/2 भाग की वसीयत की है। उक्त वसीयत के संबंध में श्रीनारायण प्र०सा०1 ने पैरा 11 में स्वीकार किया है कि वसीयत प्र०डी-1 भूरीबाई द्वारा उसके विरुद्ध प्रस्तुत व्यवहारवाद में अवैध मानी गयी है।
17. प्रतिवादीगण ने लक्ष्मीनारायण की पत्नी और पुत्र और भोगीराम के मध्य

निष्पादित बंटवारा दिनांक 28.04.95 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0डी-2 प्रस्तुत की है। जिसमें ग्राम नावली और गोहद में स्थित मकान और प्लॉट में लक्ष्मीनारायण के उत्तराधिकारियों ने हक त्यागा है और गोहद चौराहा मौजा कीरतपुरा में स्थित 10 विश्वा भूमि में से भोगीराम ने स्वत्व त्यागकर शिवनारायण से लक्ष्मीनारायण के उत्तराधिकारी के पक्ष में बयनामा कराने की जिम्मेदारी ली है और मौजा नावली स्थित 13 बीघा भूमि में भोगीराम ने 9 बीघा जमीन का कब्जा लक्ष्मीनारायण के उत्तराधिकारी को दिया है और मात्र 4 बीघा भूमि अपने पास रखी है जो मृत्यु उपरांत भी लक्ष्मीनारायण के उत्तराधिकारियों को ही दिया जाना उल्लिखित किया है। उक्त दस्तावेज प्र.पी.2 में कोई सर्वे क्रमांक अथवा भूमि की चर्तुसीमा उल्लेखित नहीं है और न ही इस संबंध में प्रतिवादीगण ने कोई साक्ष्य पेश की है कि दस्तावेज प्र.पी.2 में उल्लेखित भूमि कौन सी है।

18. प्रतिवादी ने न्यायदृष्टांत **उत्तम बनाम सौभागसिंह व अन्य 2016(2) जे.एल.जे. 1 सु.को.** प्रस्तुत किया है। जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि पितामह की वर्ष 1973 में मृत्यु होने पर जब 1977 में उसके पौत्र वादी का जन्म हुआ और तब पौत्र द्वारा अपने पिता के जीवनकाल में उक्त संपत्ति पैतृक संपत्ति होने के आधार पर दावा पेश किया गया है तब चूंकि जीवित सहदायकों के मध्य बंटवारा हो चुका था तब पितामह की मृत्यु के बाद पौत्र वादी दावा नहीं ला सकता है।

19. श्रीनारायण प्र0सा01 ने पैरा 6 में स्वीकार किया है कि उमादेवी वा0सा01 उसकी सगी बहन है। श्रीनारायण प्र0सा01 ने पैरा 6 में स्वीकार किया है कि उसने व शिवनारायण ने गोहद स्थित भूमि का गुपचुप नामांतरण करा लिया था जिसके खिलाफ लक्ष्मीनारायण के पुत्रों ने दावा प्रस्तुत किया जिसमें उनका भोगीराम के स्थान पर हुआ नामांतरण निरस्त कर दिया गया है। श्रीनारायण प्र0सा01 ने पैरा 7 में स्वीकार किया है कि भोगीराम के स्थान पर नामांतरण की कार्यवाही में उमादेवी वा0सा01 से लिखित सहमति नहीं ली और उसे जानकारी नहीं है कि नामांतरण के समय कौन-कौन मौजूद थे और पैरा 8 में स्वीकार किया है कि नामांतरण की कार्यवाही में उमादेवी वा0सा01 ने कोई हस्ताक्षर नहीं किए हैं और ना ही उमादेवी वा0सा01 को नामांतरण की कोई जानकारी दी। उसने नामांतरण के समय उमादेवी वा0सा01 से हस्ताक्षर करने के लिए कहा था लेकिन उमादेवी वा0सा01 ने हस्ताक्षर नहीं किए। श्रीनारायण प्र0सा01 ने पैरा 9 में स्वीकार किया है कि विवादित भूमि में उमादेवी वा0सा01 का 1/6 भाग का हिस्सा है और पैरा 10 में स्वीकार किया है कि विवादित भूमि भोगीराम से प्राप्त भूमि है और स्वतः कथन किया है कि कुछ भूमि उनकी खरीदी हुई है।

20. अजय ने पैरा 4 में स्वीकार किया है कि गोहद स्थित भूमि के संबंध में विनोद ने प्रतिवादी श्रीनारायण प्र0सा01 और शिवनारायण के विरुद्ध दावा प्रस्तुत किया था और उक्त भूमि पर वह गिट्टी रेत आदि का कार्य करता है और श्रीनारायण प्र0सा01, शिवनारायण उसके मामा हैं। अतः इस साक्षी ने प्रतिवादीगण से हितबद्धता स्वीकार की है। अजय ने पैरा 5 में स्वीकार किया है कि उमादेवी वा0सा01 भोगीराम की पुत्री होकर वारिस है परन्तु उमादेवी वा0सा01 ने 1/6 भाग पर स्वत्व होने से इंकार किया है। शिवदयाल प्र.सा.3 ने भी पैरा 3 में स्वीकार किया है कि उमादेवी वा0सा01 भोगीराम की संपत्ति में 1/6 भाग की वारिस है और पैरा 4 में स्वीकार किया है कि नामांतरण की कार्यवाही में उमादेवी वा0सा01 ने कोई लिखित सहमति नहीं दी थी और पैरा 5 में इंकार किया है कि उमादेवी वा0सा01 को छिपाकर गलत नामांतरण किया है।

21. उमादेवी व.सा.1 ने पैरा 8 में बताया है कि पिता के मरने के बाद उसने नामांतरण की कार्यवाही नहीं की और स्वतः कथन किया है कि उसके भाई कहते थे कि नामांतरण करा देंगे और उसने ग्राम नावली आकर एक बार भी नहीं देखा कि जमीन उसके नाम है या नहीं। उमादेवी व.सा.1 ने पैरा 7 में स्वीकार किया है कि दस्तावेज प्र0पी-1 लगायत 6 में उसके पिता व भाइयों का ही नाम है। उमादेवी व.सा.1 ने पैरा 10 में बताया है कि उसकी मां कैलाशी अभी जीवित हैं जो जन्म से अंधी हैं और पैरा 10 में इंकार किया है कि उसके बच्चों के जन्म के समय मायके की तरफ से पक्ष दिया गया था और इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसके बच्चों की शादी में 60-70 हजार रुपये का भात प्रतिवादीगण द्वारा दिया गया था।
22. अतः प्रतिवादी श्रीनारायण प्र0सा01 व साक्षी अजय और शिवदयाल प्र.सा.3 ने उमादेवी वा0सा01 का, भोगीराम की पुत्री होना उपरोक्तानुसार प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है और उमादेवी वा0सा01 का भोगीराम की संतान न होने के संबंध में वादोत्तर में भी कोई अभिवचन नहीं किया गया है।
23. नामांतरण की कार्यवाही दस्तावेज प्र0पी-1 के अनुसार की गयी है जिसमें उमादेवी वा0सा01 वारिस के रूप में उल्लिखित नहीं हैं और ना ही उसकी उपस्थिति उल्लिखित है। श्रीनारायण प्र0सा01 व शिवदयाल प्र.सा.3 ने नामांतरण में उमादेवी वा0सा01 की लिखित सहमति भी प्राप्त न किया जाना स्वीकार की है। अतः नामांतरण कार्यवाही जिसके अनुसार बंटवारा भी हुआ है, में सभी भूस्वामी व भोगीराम के जो नैसर्गिक उत्तराधिकारी व आवश्यक पक्षकार हैं उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है और ना ही उसकी लिखित सहमति ली है। नामांतरण कार्यवाही में भोगीराम की पत्नि व पुत्री के संबंध में कोई तथ्य वर्णित नहीं किये गये हैं।
24. प्रतिवादी का तर्क है कि वादी ने नामांतरण को राजस्व न्यायालय में चुनौती नहीं दी है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि नामांतरण कार्यवाही राजस्व प्रयोजन हेतु सुसंगत है जिससे स्वत्व प्राप्त नहीं होता है। अतः राजस्व कार्यवाही को राजस्व न्यायालय में चुनौती न दिए जाने से सिविल न्यायालय में वादी स्वत्व घ.पोषण हेतु अनुतोष प्राप्त करने की कार्यवाही किए जाने में बाधा उत्पन्न नहीं होती है। यद्यपि उक्त तथ्य इस हेतु महत्त्वपूर्ण है कि राजस्व दस्तावेजों में वादी ने अपना नाम अंकित कराये जाने हेतु कोई महत्त्वपूर्ण प्रयास नहीं किया। नामांतरण कार्यवाही को भोगीराम की मृत्यु के बाद पर्याप्त समयावधि में सिविल न्यायालय में भी वादी द्वारा चुनौती न दिया जाना प्रतिवादी ने उल्लिखित किया है। इस संबंध में उमादेवी व.सा.1 ने पैरा 8 में स्वीकार किया है कि पिता की मृत्यु के बाद उसे नामांतरण न होने की जानकारी थी। नामांतरण कार्यवाही से स्वत्व उद्भूत न होने से युक्तियुक्त समय में जानकारी होने के बाद भी नामांतरण को चुनौती न दिए जाने से यह स्वमेव नहीं माना जा सकता कि वादिया की विवक्षित सहमति थी और वादिया का भोगीराम की संपत्ति में स्वत्व का त्यजन किया जाना उपधारित नहीं किया जा सकता है।
25. परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 110 के अधीन जब अविभक्त कुटुम्ब की संपत्ति से किसी व्यक्ति को उपवर्जित किया जाता है तब अपने अंश के किसी अधिकार को प्रवर्तित कराने की परिसीमा अवधि, उपवर्जन ज्ञात होने से 12 वर्ष के अंदर की है। वादी अथवा प्रतिवादी ने भोगीराम की मृत्यु दिनांक का कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया है। उमादेवी वा0सा01 ने पैरा 8 में बताया है कि उसके पिता की मृत्यु वर्ष 1999 में हुई और पैरा 8 में स्वीकार किया है कि उसे जानकारी नहीं थी कि पिता के मरने के बाद उसका नामांतरण नहीं हुआ है फिर कथन किया है कि वह प्रश्न नहीं समझी थी उसे जानकारी है। भोगीराम की मृत्यु

के तत्काल बाद से ही वादिया को जानकारी है ऐसा कोई तथ्य उमादेवी वा0सा01 के प्रतिपरीक्षण से प्रमाणित नहीं हुआ है। उमादेवी वा0सा01 ने कथन के पैरा 7 में नामांतरण दस्तावेजों की प्रतिलिपि किस दिनांक को प्राप्त की यह भी ज्ञात न होना बताया है। श्रीनारायण प्र0सा01 के प्रतिपरीक्षण के पैरा 8 में दिए कथन से भी यह स्पष्ट हुआ है कि नामांतरण की जानकारी उमादेवी वा0सा01 को नहीं दी गयी थी। अतः वर्ष 1999 में पिता की मृत्यु के तत्काल बाद वर्ष 2000 में हुए नामांतरण की जानकारी उमादेवी वा0सा01 को तत्समय वर्ष 2000 से ही थी। इस संबंध में प्रतिवादी ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की है और ना ही उक्त तथ्य उमादेवी वा0सा01 के कथन से स्पष्ट हुआ है। नामांतरण कार्यवाही की राजस्व न्यायालय से वादिया को कोई सूचना प्रेषित की गयी यह भी अभिलेख से स्पष्ट नहीं होता है। अतः भोगीराम की मृत्यु के तत्काल बाद से ही वादिया को सूचना थी यह स्पष्ट नहीं होता है और न ही नामांतरण कार्यवाही में उसे विधिवत सूचना प्रेषित की गयी है। अतः वाद परिसीमा से भी बाधित न होना प्रतीत होकर, नामांतरण कार्यवाही को प्रारंभ से चुनौती न दिया जाना, उमादेवी वा0सा01 की जानकारी के अभाव में समाधानप्रद प्रतीत होता है और उक्त तथ्य से उमादेवी वा0सा01 द्वारा भोगीराम की संपत्ति में विवक्षित रूप से स्वत्व त्यजित किया जाना प्रमाणित नहीं होता है।

26. अतः जबकि उमादेवी वा0सा01, भोगीराम की निर्वसीयती मृत्यु होने की दशा में धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन विवादित भूमि के संबंध में अनुसूची के प्रथम वर्ग की उत्तराधिकारी थी तब भोगीराम की मृत्यु उपरांत किए गए नामांतरण कार्यवाही में वह आवश्यक पक्षकार थी। परन्तु उमादेवी वा0सा01 की सहमति से नामांतरण होना उपरोक्तानुसार प्रमाणित नहीं हुआ है और नामांतरण कार्यवाही को चुनौती न दिए जाने से उमादेवी वा0सा01 का भोगीराम की संपत्ति में स्वत्व त्यागना भी प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः उमादेवी वा0सा01 भोगीराम की संपत्ति में उसकी उत्तराधिकारी के रूप में स्वत्व प्राप्त करने की अधिकारी होना प्रमाणित होती है।

27. खसरा प्र0पी-6 में उल्लिखित भूमि सर्वे भोगीराम के स्वत्व में उल्लिखित है परन्तु शेष सर्वे लक्ष्मीनारायण, शिवनारायण, श्रीनारायण प्र0सा01, कैलाशनारायण के स्वत्व में उल्लिखित है। खसरा प्र0पी-2 में भी उल्लिखित भूमि सर्वे भोगीराम के स्वत्व में उल्लिखित नहीं है। खसरा प्र0पी-3 में भी मात्र 10 सर्वे क्रमांक भोगीराम के स्वत्व में उल्लिखित है और शेष सर्वे क्रमांक लक्ष्मीनारायण, शिवनारायण, श्रीनारायण प्र0सा01, कैलाशनारायण और उनके उत्तराधिकारी सुनीता के स्वत्व में उल्लिखित है।

28. इस संबंध में न्यायदृष्टांत **In Appalaswami v. Suryanarayanamurti**, AIR 1947 PC 189 में प्रतिपादित किया गया है कि

Proof of the existence of a joint family does not lead to the presumption that property held by any member of the family is joint, and the burden rests upon anyone asserting that any item of property is joint to establish the fact.

29. न्यायदृष्टांत **Dandappa Rudrappa Hampali And vs Renukappa Alias Revanappa And** AIR 1993 Kant 148 में प्रतिपादित किया गया है कि

All properties inherited by a male Hindu from his father, father's father or father's paternal grand father, is 'ancestral property'. A person may possess ancestral property as well as his self acquired property; it is permissible for a coparcener to blend his self acquired property with that of the ancestral or joint family property. A property acquired with the aid of the joint family property also becomes joint family property. The person acquiring a property if has command over sufficient joint family property, with the aid of which the new property could be acquired, there is a presumption that the acquired property belongs to the joint family. In such a case the acquieser has to show that his acquisition was without the aid of any joint family assets. However the initial burden is on the person who asserts, that the newly acquired asset is of the joint family to prove, that the acquieser had command over sufficient joint family assets with the aid of which he could have acquired the new asset.

30. अतः उक्त न्यायदृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के अनुसार संयुक्त रहने से यह उपधारित नहीं किया जा सकता की संपत्ति भी संयुक्त परिवार की संपत्ति है। संपत्ति संयुक्त परिवार की पैत्रिक संपत्ति है इस तथ्य का सबूत का भार उस पक्षकार पर है जो संपत्ति को संयुक्त परिवार की होना बताता है। क्रय की गयी संपत्ति भी संयुक्त परिवार की संपत्ति की आय से क्रय की इस तथ्य का भी सबूत का भार भी प्रथमतः उस पक्षकार पर है जो संपत्ति को संयुक्त परिवार की आय से क्रय किया जाना बताता हो।
31. अतः उपरोक्त न्यायदृष्टांत के परिपेक्ष में वर्तमान प्रकरण में उक्त सर्वे क्रमांक जो भोगीराम की संतान व पौत्र आदि के नाम प्रारंभ से अंकित है को, संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से क्रय किए गए थे इस तथ्य का सबूत का भार वादी पर है परन्तु वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है कि लक्ष्मीनारायण, शिवनारायण, श्रीनारायण प्र0सा01 और कैलाशनारायण द्वारा विवादित भूमि पैतृक संपत्ति की आय से ही क्रय की गयी है अथवा भोगीराम ने उनके नाम से बेनामी क्रय की है।
32. अतः जो भूमि भोगीराम के स्वत्व में प्रारंभ से उल्लेखित चली आ रही है मात्र उसी में ही वादिया धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधि के अनुसार भोगीराम के उत्तराधिकारी के रूप में स्वत्व प्राप्त कर सकती है और शेष भूमि जो लक्ष्मीनारायण, शिवनारायण, श्रीनारायण, कैलाशनारायण अथवा उनके उत्तराधिकारी

संतोष आदि व सुनीता के स्वत्व में उल्लिखित भूमि में वादिया भोगीराम के उत्तराधिकारी के रूप में स्वत्व प्राप्त नहीं कर सकती है जबकि उनके द्वारा धारित की गयी भूमि उमादेवी वा0सा01 के पूर्वाधिकारी भोगीराम की पैतृक संपत्ति होना प्रमाणित नहीं हुई है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टांत **उत्तम बनाम सौभागसिंह व अन्य 2016(2) जे.एल.जे. 1 सु.को.** वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है क्योंकि वादी ने अपने पिता के जीवनकाल में यह वाद प्रस्तुत नहीं किया है अपितु पिता के उत्तराधिकार के अनुक्रम में पिता की मृत्युपर्यंत यह वाद प्रस्तुत किया है।

33. धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के अधीन अनुसूची के प्रथम वर्ग में भोगीराम की पत्नी भी सम्मिलित है जिसका जीवित होना वादिया उमादेवी व.सा. 1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 10 में स्वीकार किया है। वदोत्तर में भी भोगीराम की पत्नी कैलाशी के होने का उल्लेख है। अतः भोगीराम की पत्नी के जीवित रहते हुए वादिया भोगीराम की भूमि के 1/7 भाग पर ही उत्तराधिकार के अनुक्रम में स्वत्व प्राप्त कर सकती है।
34. विवादित भवन के संबंध में वादिया ने कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया है कि उक्त भवन भोगीराम के स्वत्व का है। अतः जबकि विवादित भवन पर भोगीराम का ही स्वत्व प्रमाणित नहीं होता है तब उसके उत्तराधिकारी के रूप में वादिया का स्वत्व प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।
35. अतः उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से वादिया भोगीराम के स्वत्व की भूमि के 1/7 भाग की उत्तराधिकारी होना प्रमाणित हुई है। खसरा प्र0पी-3 में भोगीराम के स्वत्व के दस भूमि सर्वे क्रमांक का उल्लेख है जिसके सर्वे क्रमांक 85 का खसरा वादी ने पेश नहीं किया है परन्तु नामांतरण प्र0पी-1 में सर्वे क्रमांक 85 भी भोगीराम के स्वत्व में उल्लिखित है।
36. अतः उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से भोगीराम के स्वत्व सर्वे क्रमांक 23 रकवा 0.20, 26 रकवा 0.81, 27 रकवा 0.67, 32 रकवा 0.51, 85 रकवा 0.61, 87 रकवा 0.10, 172 रकवा 0.07, 177 रकवा 0.06, 222 रकवा 0.08, 225 0.04, 228 रकवा 0.03, में ही वादिया का स्वत्व प्रमाणित होता है। खसरा प्र0पी-2 व प्र0पी-3 में उल्लिखित भूमि समस्त रूप से भोगीराम के स्वत्व में उल्लिखित नहीं है अपितु प्रतिवादीगण के स्वत्व में उल्लिखित है और उक्त भूमि भोगीराम से अथवा संयुक्त पैतृक संपत्ति से क्रय की गयी आय से प्रतिवादीगण द्वारा क्रय की गयी है यह प्रमाणित नहीं हुआ है जिससे खसरा प्र0पी-2 व 3 में भोगीराम के स्वत्व की भूमि के अलावा अन्य भूमि पर वादिया का स्वत्व प्रमाणित नहीं होता है।
37. अतः वादप्रश्न क्रमांक 1 व 2 का विनिश्चय अंशतः साबित के रूप में दिया जाता है।

// वाद प्रश्न क्रमांक 03 एवं 04 का सकारण निष्कर्ष //

38. उमादेवी वा0सा01 ने कथन किया है कि विवादित भूमि के 1/6 भाग पर वह स्वयं और अपने भाइयों से खेती कराती थी और विवादित भूमि पर उसका संयुक्त अधिपत्य है। ओमप्रकाश व.सा.2 ने भी उमादेवी वा0सा01 के कथन का समर्थन किया है कि विवादित भूमि पर उमादेवी वा0सा01 अपने हिस्से पर अपने भाइयों के जरिये भाड़े पर खेती कराती है और स्वयं भी करती है। उमादेवी वा0सा01 का संयुक्त कब्जा चला आ रहा है। मुरारीलाल वा0सा03 ने भी उमादेवी वा0सा01 के कथन का समर्थन किया है कि उमादेवी वा0सा01 ने विवादित भूमि

पर खेती कराने के लिए उसके दामाद और समधी के साथ 2-3 बार ग्राम नावली आयी है जिनके साथ वह भी आया है और दामाद व समधी ने भाड़े के टैक्टर से उक्त भूमि जुतवाई थी।

39. श्रीनारायण प्र0सा01 ने कथन किया है कि विवादित भूमि पर वादिया का कब्जा नहीं है। वादिया का विवाह 35 वर्ष पूर्व हुआ था तभी से वह अपनी ससुराल में पति के साथ ग्राम सिंहपुर रोड चौराहा पर निवास कर रही है। विवाह के बाद वादिया नावली में कभी नहीं रही और मेहमान के रूप में आती है व जाती है। वादिया ने कभी खेती नहीं की। अजय कुमार प्र.सा.2 ने और शिवदयाल प्र.सा.3 ने भी कथन किया है कि उमादेवी वा0सा01 मुरार में रहती है और ग्राम नावली में नहीं रही और ना ही उसने कभी खेती की है।
40. उमादेवी व.सा.1 ने पैरा 10 में इंकार किया है कि वह शादी के बाद अपनी ससुराल में नहीं रहती है और बताया है कि वह ज्यादातर अपने पिताजी के पास रहती थी और पैरा 11 में इंकार किया है कि उसने वादग्रस्त जमीन नहीं देखी है और कथन किया है कि ग्राम खनेता और नावली में कितने रकवे के कितने नंबर हैं उसे नहीं पता। उन खेतों की क्या चतुरसीमा है उसे नहीं पता। वह विवादित भूमि भाड़े पर कराती है लेकिन भाड़ेदार का क्या नाम है उसे नहीं पता। उसे भाड़ेदार पांच मन गेहूं और पांच मन सरसों देता है जो कौन देने आता है उसे नहीं पता। अतः उमादेवी व.सा.1 को विवादित भूमि की ही स्पष्ट जानकारी नहीं है लेकिन उमादेवी व.सा.1 ने पैरा 12 में इंकार किया है कि विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण की खेती हो रही है।
41. ओमप्रकाश व.सा.2 ने पैरा 12 में कथन किया है कि भोगीराम की जमीन नावली मौजा में है और अन्य मौजे में भी जमीन होगी लेकिन उसे नहीं पता। ओमप्रकाश व.सा.2 ने पैरा 4 में इंकार किया है कि उमादेवी व.सा.1 विवादित भूमि को भाड़े से कराती है और कथन किया है कि दो बार भाड़ेदार उसके सामने फसल लेकर आया था लेकिन कौन सी फसल लेकर आया था और उसका क्या नाम था उसे नहीं मालूम।
42. मुरारीलाल वा0सा03 ने पैरा 3 में कथन किया है कि वह नहीं बता सकता कि विवादित भूमि के कुल कितने खेत हैं और पैरा 4 में कथन किया है कि जब रिश्ता हुआ था तभी वह नावली आया था उसके बाद नहीं आया। भाड़े पर टैक्टर किसका लाया गया था उसका नाम नहीं मालूम।
43. अतः उमादेवी वा0सा01 और साक्षी ओमप्रकाश व.सा.2 व मुरारीलाल वा0सा03 को विवादित भूमि की ही स्थिति ज्ञात नहीं है जबकि उन्होंने भोगीराम की मृत्यु उपरांत से ही विवादित भूमि पर स्थापित अधिपत्य का अभिवचन किया है। भाड़े से खेती कराये जाने पर उमादेवी व.सा.1 और ओमप्रकाश व.सा.2 ने विरोधाभासी तथ्य वर्णित किए हैं और ना ही उन्हें भाड़ेदारों का नाम ज्ञात है। मुरारीलाल वा0सा03 ने भाड़े से टैक्टर लाये जाने के बाद भी टैक्टरस्वामी का नाम बताने में असमर्थता बतायी है और मात्र एक बार ही ग्राम नावली में जाना बताया है। अतः तीनों ही साक्षीगण द्वारा विवादित भूमि पर उमादेवी वा0सा01 का अधिपत्य होने के संबंध में लेसमात्र भी विश्वसनीय साक्ष्य नहीं दी है। जबकि स्थापित अधिपत्य के सबूत का भार वादीगण पर था। अतः यह सिद्ध नहीं होता है कि विवादित भूमि पर वादी स्वयं अथवा भाड़ेदारों से खेती कराकर अधिपत्य प्राप्त किए हुए है।
44. उमादेवी वा0सा01 ने कथन किया है कि दिनांक 28.09.14 को उसके भाई श्रीनारायण प्र0सा01 और शिवनारायण ने वादिया को अपने हिस्से की भूमि पर

खेती करने से रोका और जिस भूमि पर वादिया खेती करती थी उस भूमि पर खेती न करने देने का कहा। तब बोनी नहीं करने दी। ओमप्रकाश व.सा.2 ने भी उमादेवी वा0सा01 के कथन का समर्थन किया है कि एक वर्ष पूर्व शिवनारायण और श्रीनारायण प्र0सा01 ने उमादेवी वा0सा01 को खेती करने से रोका था और कहा था कि उमादेवी वा0सा01 का विवादित भूमि में कोई हिस्सा नहीं है। मुरारीलाल वा0सा03 ने भी उमादेवी वा0सा01 के कथन का समर्थन किया है कि शिवनारायण आदि विवादित भूमि पर उमादेवी वा0सा01 को खेती करने से रोकते हैं।

45. अजय कुमार प्र.सा.2 ने और शिवदयाल प्र.सा.3 ने भी कथन किया है कि दिनांक 28.09.14 को वादिया बोनी करने नहीं आयी।
46. अतः जबकि उपरोक्त विवेचना अनुसार विवादित भूमि पर उमादेवी वा0सा01 द्वारा स्वयं अथवा भाडेदारों के माध्यम से खेती कराया जाकर वादी का ही अधिपत्य सिद्ध नहीं हुआ है तब अधिपत्य के आभाव में यह सिद्ध नहीं होता है कि दिनांक 28.09.14 को प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि पर वादिया को खेती करने से रोका।
47. उमादेवी वा0सा01 ने कथन किया है कि विवादित भूमि पर उसका संयुक्त अधिपत्य है इसलिए कब्जे की सहायता चाही जाना आवश्यक नहीं है और आज भी उसकी खेती हो रही है। अतः उमादेवी वा0सा01 ने विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त अधिपत्य होने का भी अभिवाक लिया है।
48. बंटवारा जिसका उल्लेख नामांतरण पंजी प्र0पी-1 में है, के अनुसार विवादित भूमि का प्रथक-प्रथक बटांकन कायम किया जा चुका है और विवादित भूमि पर वादिया का उपरोक्त विवेचनचा अनुसार अधिपत्य प्रमाणित नहीं हुआ है। तब जबकि विवादित भूमि का बंटवारा हो चुका है और बंटवारे में वादिया पक्षकार नहीं थी तब बंटवारे के कारण वादिया का प्रतिवादिया के साथ संयुक्त अधिपत्य होना भी प्रमाणित नहीं होता है।
49. अतः उपरोक्त विवेचना के अनुसार वादग्रस्त भूमि 1/6 भाग पर वादिया का एकल रूप से अथवा प्रतिवादिया के साथ संयुक्त अधिपत्य प्रमाणित नहीं हुआ है और यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि प्रतिवादीगण ने वादिया के अधिपत्य में अवैध हस्तक्षेप करने का प्रयास किया।
50. अतः वादप्रश्न क्रमांक 3 व 4 का विनिश्चय नासाबित के रूप में दिया जाता है।

// वाद प्रश्न क्रमांक 05 का सकारण निष्कर्ष //

51. उमादेवी वा0सा01 ने कथन किया है कि विवादित भूमि कृषि भूमि है इसलिए कृषि भूमि के लगान के अनुसार उसने मालियती कायम की है। वर्तमान वाद स्वत्व घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया है। स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष के लिए धारा 7(4)(डी) न्यायशुल्क अधिनियम के अधीन वादी इप्टिस अनुतोष की रकम का कथन करने के लिए स्वतंत्र हैं जो वादिया ने एक हजार रुपये निर्धारित किया है। उक्त मूल्यांकन अनुचित है इस संबंध में प्रतिवादी ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। एक हजार रुपये के मूल्यांकन पर न्यायशुल्क अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अनुच्छेद 1-क के अधीन 120रु-रुपये न्यायशुल्क देय होगा परन्तु वादी ने सौ रुपये न्यायशुल्क संदाय किया है। अतः बीस रुपये के न्यायशुल्क का अभाव है।
52. घोषणा हेतु वादी ने विवादित भूमि का मूल्यांकन भूराजस्व के बीस गुना के आधार 234.50 रुपये और विवादित भवन का बाजार मूल्य एक लाख बीस हजार रुपये कायम किया है। विवादित भूमि भू-राजस्व देय भूमि होने से घोषणा

हेतु मूल्यांकन भूराजस्व के बीस गुना के आधार पर ही किया जायेगा और विवादित भवन का मूल्य एक लाख बीस हजार रुपये से अधिक है इस संबंध में प्रतिवादी ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। अतः वादी ने घोषणा के लिए वाद का उचित मूल्यांकन किया है और पारिणामिक अनुतोष के अभाव में उक्त मूल्यांकन पर न्यायशुल्क अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अनुच्छेद 17 के अधीन इस न्यायालय में निश्चित न्यायशुल्क पांच सौ रुपये देय होगा जो वादी ने संदय किया है। अतः घोषणा हेतु वादी ने उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क संदाय किया है।

53. अतः इस वादप्रश्न का विनिश्चय अंशतः साबित के रूप में दिया जाता है।

// वादप्रश्न क्रमांक 06 पर सकारण निष्कर्ष //

54. उपरोक्त वादप्रश्नों पर प्राप्त विनिश्चय के आधार पर वादी अपना वाद अंशतः प्रमाणित करने में सफल रही है। विवादित भूमि के भोगीराम के स्वत्व के भाग के 1/7 भाग पर वादिया का स्वत्व प्रमाणित हुआ है। परन्तु शेष विवादित भूमि और विवादित भवन पर वादिया का स्वत्व प्रमाणित नहीं हुआ है। स्थायी निषेधज्ञा हेतु विवादित भूमि पर वादिया का अधिपत्य भी प्रमाणित नहीं हुआ है। भोगीराम के स्वत्व की विवादित भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक संपत्ति प्रमाणित होने से बिना अधिपत्य वापिसी प्रार्थना किए जाने से भी धारा 34 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अधीन वादिया घोषणा का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **जॉय नारायण सेन बनाम श्रीकान्त रॉय ए.आई.आर. 1922 कलकत्ता 8** भी अवलोकनीय है। अतः वाद अंशतः स्वीकार कर प्रकरण निम्नानुसार आज्ञप्त किया जाता है।

1. यह घोषित किया जाता है कि वादिया भोगीराम की उत्तराधिकारी होने से, ग्राम नावली स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 23 रकवा 0.20, 26 रकवा 0.81, 27 रकवा 0.67, 32 रकवा 0.51, 85 रकवा 0.61, 87 रकवा 0.10, 172 रकवा 0.07, 177 रकवा 0.06, 222 रकवा 0.08, 225 0.04, 228 रकवा 0.03, के भोगीराम के स्वत्व के भाग में 1/7 भाग की वादी उमादेवी व.सा.1 भूस्वामी है।
2. प्रकरण की परिस्थितियों में उभयपक्ष अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे जिसमें अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर सूची अनुसार जोड़ा जाये।
3. प्रकरण में बीस रुपये के न्यायशुल्क का अभाव है। अतः आज्ञप्ति बीस रुपये न्यायशुल्क संदाय करने के उपरांत ही प्रभावशील रहेगी।

तदानुसार आज्ञप्ति बनाई जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0